राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बैंक ऑफ इंडिया भवन,
अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एन.एच.एम / NIPI / 2015 1269

भोपाल, दिनांक 28.01.15

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, एल.एस.एस., म.प्र.
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, आर.एस.के., म.प्र.
4. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी, म.बा.वि.,म.प्र.

विषयः— 1 से 19 वर्षीय बच्चों में **National Deworming Day (NDD)** का आयोजन 10 फरवरी 2015 को किए जाने के संबंध में संयुक्त दिशा—निर्देश।

संदर्भः— दिनांक 19 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी **National Deworming Day (NDD)** के नवीन दिशा—निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि **भारत सरकार के नवीन दिशा—निर्देशानुसार** National Deworming Day (NDD) का आयोजन, एक निश्चित दिवस पर (Fix Day Approach) किया जाकर, 1 से 5 वर्षीय बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में (बाल सुरक्षा माह में छूटे हुए) तथा 5 से 19 वर्षीय शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में पंजीकृत समस्त बालक एवं बालिकाओं का कृमिनाशन किया जाना हैं। **कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवायें के समन्वय से किया जायेगा।**

National Deworming Day (NDD) का उद्देश्य :— समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से समस्त 1 से 19 वर्षीय बच्चों को कृमिनाशन हेतु एल्बेंण्डाजोल सस्पेन्शन / गोली की प्रदायगी सुनिश्चित करना जिससे बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य—पोषण स्तर, आयरन की कमी की रोकथाम से बौद्धिक विकास तथा शालाओं में उपस्थिति में सुधार हो सके।

निर्देशित किया जाता है कि :—

- **National Deworming Day (NDD) का समारोहपूर्वक शुभारंभ विशिष्ट एवं गणमान्य नागरिक / जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2015 को सुनिश्चित किया जाये।**
- 10 फरवरी को आयोजित इस विशिष्ट कृमिनाशन दिवस पर बाल सुरक्षा माह के अंतर्गत 1 से 5 वर्षीय छूटे हुये बच्चों को अनिवार्य रूप से एल्बेण्डाजोल सस्पेन्शन की निर्धारित खुराक पिलाई जाए। 1 से 2 वर्षीय बच्चों को 5 एम. एल. तथा 2 से 5 वर्षीय बच्चों को 10 एम.एल. पिलाई जाये।
- **दिनांक 10 फरवरी 2015 को समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों के माध्यम से 5 से 19 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं को कृमिनाशन हेतु एल्बेंण्डाजोल (Chewable-400 mg) की 1 गोली का सेवन, शिक्षक की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाये।**
- समस्त 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी तथा शाला में अनुपस्थित बालक एवं बालिकाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों में एल्बेंण्डजोल (Chewable-400 mg) की 1 गोली का सेवन कराया जाये।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका :–

- नेशनल डीवर्मिंग डे के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए:–

क्रं.	स्तर	प्रतिभागी	निर्धारित समय–सीमा
1	जिला स्तर पर	National Deworming Day Kit की व्यवस्था – शालेय संख्या के आधार पर फ्लेक्स (साईज 4x3 ft.) का मुद्रण, एडवर्स ईवेन्ट प्रोटोकॉल प्रपत्रों की छायाप्रति, रिपोर्टिंग प्रपत्रो की छायाप्रति, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीयों की संपर्क नम्बरो की सूची, इन्द्राज बच्चों की संख्या के आधार पर एल्बेंन्डाजोल गोलियों की उपलब्धता	03 फरवरी 2015
		समस्त BMO / Sector MO / BPM / BCM / BEO / BRC / CDPO का एन.डी.डी के संबंध में उन्मुखीकरण तथा बी.एम.ओ को नेशनल डीवर्मिंग डे किट का वितरण	04 से 05 फरवरी 2015
2	विकासखण्ड स्तर पर	समस्त आशा/ए.एन.एम./आर.बी.एस.के. दल का उन्मुखीकरण बैठक तथा विकासखण्ड पर उपलब्ध मोबिलिटि सपोर्ट वाहन तथा आर.बी.एस.के. दल के माध्यम से प्रत्येक शाला में एन.डी. डी. किट पहुँचाने की व्यवस्था	06 से 07 फरवरी 2015
		मिडिया गतिविधी–ग्रामों में माईकिंग, दीवार लेखन	
3	सेक्टर स्तर पर	सेक्टर मेडीकल ऑफिसर द्वारा शालाओं की मासिक क्लस्टर (संकुल) बैठक में नेशनल डी वर्मिंग डे के बारे में शाला प्रधान/प्रधानाचार्य/शिक्षकों का उन्मुखीकरण	07 फरवरी 2015
4	सर्व स्तर पर	नेशनल डी वर्मिंग डे का शुभारंभ–विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों द्वारा	10 फरवरी 2015
		मॉप–अप डे का आयोजन	13 फरवरी 2015
		जिला स्तर से राज्य स्तर को रिपोर्टिंग	27 फरवरी 2015

- सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक स्कूल एवं आंगनवाड़ी पर नेशनल डीवर्मिंग डे पर एल्बेंडाजोल सस्पेंशन/गोली, ओ.आर.एस. पैकेट, डोमपेरिडॉन टेबलेट, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट/सस्पेन्शन, पैरासिटामोल टेबलेट/सस्पेन्शन तथा सी.पी.एम. टेबलेट/सेट्रिजिन टेबलेट की व्यवस्था मामूली प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु उपलब्ध रहे।
- जिलेवार शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों की संख्या, कुल इंद्राज बच्चों की संख्या के मान से एल्बेण्डाजोल गोलियों की अनुमानित आवश्यकता एवं दिनांक 27 जनवरी 2015 को प्रतिवेदित एस.डी.एम.आई.एस. अनुसार जिलों में उपलब्ध स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक–अ** पर संलग्न हैं।
- **बाल सुरक्षा माह में जिन जिलों में आदेशित एल्बेण्डाजोल सस्पेन्शन की प्रदायगी समय पर नहीं हो पाई, ऐसे जिलों में संचालनालयीन औषधि प्रकोष्ठ द्वारा विशेष प्रयास कर, दिनांक 3 फरवरी 2015 तक आवश्यक एल्बेण्डाजोल सस्पेन्शन पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों तक एल्बेण्डाजोल सस्पेन्शन का वितरण सुनिश्चित किया जाए।**
- संलग्न रिपोर्टिंग प्रणाली अनुसार नेशनल डीवर्मिंग डे एवं मॉप–अप डे के बाद स्कूलों एवं आगंनेवाड़ी केन्द्रों से समय–सीमा में रिपोर्ट आशा, आशा सहयोगिनी, बी.सी.एम./बी.पी.एम. के माध्यम से विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नेशनल डीवर्मिंग डे एवं मॉप–अप डे हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र **अनुलग्नक–ब** पर संलग्न है।
- शाला एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। प्रतिकूल घटना हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र **अनुलग्नक–स** पर संलग्न है।
- उपरोक्तानुसार समस्त शाला प्रधान/प्रधानाचार्यों/शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर्स का नेशनल डीवर्मिंग डे के संबंध में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर द्वारा क्लस्टर (संकुल) स्तर पर आधे दिन की उन्मुखीकरण बैठक आयोजित कर नेशनल डी वर्मिंग डे की समझाईश दी जाये।
- स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गैर–पंजीकृत बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाकर एल्बेण्डाजोल गोली खिलाने का दायित्व आशा का होगा।

* नेशनल डी वर्मिंग डे हेतु शासकीय शालाओं की संख्याओं के आधार पर फ्लेक्स/बैनर (4x3 ft.) का मुद्रण दिनांक 03/02/2015 तक सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु जिले में उपलब्ध एन.आर.एच.एम./आर.सी.एच. फ्लेक्सिपूल में उपलब्ध राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाए एवं बुकिंग तालिका में दर्शाये एफ.एम.आर. कोड के अतंर्गत किया जाये।
* जिला स्तरीय व्यय हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

S. No.	Activity Detail	Est. Expenditure Per District (INR)	FMR Code
1	Printing of : a. Training material	1,50,000	B.10.7
	b. IEC material: Banners/Pamphlets	1,50,000	
	c. Reporting Formats of all levels	20,000	
2	Half day orientation meeting at Sector PHC/ Block level for approx. 3000 participants @ 150 /- per participant	3,00,000	A.9.11.3
3	Mobility support for field level monitoring for one day (4 hired vehicles at rent of Rs. 1000 for 1 day or fuel of Rs. 1000)	4000	A.10.8

* अवगत हों कि नेशनल डीवर्मिंग डे हेतु पेम्पलेट्स (हैन्ड आउट 2 प्रति स्कूल के मान से) तथा पोस्टर्स (1 प्रति स्कूल के मान से) का मुद्रण डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव नामक डोनर संस्था द्वारा किया जायेगा अतः जिला स्तर पर स्वास्थ विभाग द्वारा केवल बैनर का मुद्रण तथा रिर्पोटिंग प्रपत्र की छायाप्रति व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
* आवश्यक औषधियां, मुद्रण सामग्री तथा प्रसार सामग्री स्कूल हर गांव के स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र तक पंहुचाने हेतु विकासखण्ड स्तर तक उपलब्ध मोबिलिटी सपोर्ट वाहन, आर.बी.एस.के. वाहन अथवा ए.व्ही.डी. का उपयोग किया जाये। सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी हेतु राशि रु. 8000/– प्रतिमाह के मान से स्वीकृत है अतः विशेष परिस्थिति में सेक्टर चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त राशि से भी नेशनल डीवर्मिंग डे आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री पंहुचायी जाए।

<u>स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका</u> :–

* **शासकीय शालाओं में शाला प्रधान/शिक्षक द्वारा नेशनल डीवर्मिंग डे के आयोजन पूर्व निम्न तैयारियॉं सुनिश्चित की जाये :–**

1. एन.डी.डी. के बैनर का प्रदर्शन।
2. काउन्टर की स्थापना।
3. बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ ग्लास की व्यवस्था।
4. **उपस्थिति रजिस्टर में गोली खिलाने के बाद ✓ का निशान लगाना।**
5. **मॉप–अप दिवस पर छूटे बच्चों को गोली खिलाना एवं उपस्थिति रजिस्टर में ✓✓ का निशान लगाना।**
6. **प्रतिकूल घटना की सूचना हेतु प्रत्येक स्कूल में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., आशा, सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, 108 के संपर्क नम्बर की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
7. जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं उन्हें एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन नहीं कराया जाए।
8. <u>यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे गोली को चबाकर ही खायें। कक्षा 1 से 3 के छोटे विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार 2 चम्मच के बीच में गोली को चूरा कर सेवन कराया जाये।</u>
9. बच्चों में डीवर्मिंग की दवाई के साईड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली दुषप्रभाव जैसे– चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं।
10. किसी भी प्रकार के दुषप्रभाव की स्थिति में बच्चे को खुले एवं छायादार स्थान पर लिटाया जाये तथा साफ स्वच्छ पेयजल तथा ओ.आर.एस. घोल पीने को दिया जाये।
11. गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर संपर्क सूची में दर्ज ग्राम की आशा/ए.एन.एम./सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/बी.एम.ओ. को सूचित किया जाए।

12. ऐसी स्थिति में परिजनों को सूचित करते हुए आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108/जननी एक्सप्रेस के माध्यम से पीड़ित बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पंहुचाया जाये।
13. दिनांक 11 एवं 12 तारीख को समस्त शिक्षक/शाला प्रधान द्वारा छूटे हुए बच्चों की समीक्षा कर नामजद सूची तैयार की जाये।
14. उपरोक्त छूटे हुए बच्चों को Mop-Up Day (MUD) दिनांक 13 फ़रवरी 2015 को एल्बेण्डाजोंल गोली का सेवन कराया जाये।

<u>महिला बाल विकास विभाग की भूमिका</u> :-

1. बाल सुरक्षा माह (दिसम्बर 2014–जनवरी 2015) के दौरान 1 से 5 वर्षीय समस्त छूटे हुए बच्चों को एल्बेण्डाजोल सस्पेन्शन की खुराक आंगनवाड़ी केन्द्रों में पिलाना।
2. 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों, किशोर –किशोरियों की जानकारी ग्राम की आशा को देना ताकि उन्हें एल्बेंण्डाजोल (Chewable-400 mg) की 1 गोली का सेवन कराया जा सके।

<u>संलग्न : उपरोक्तानुसार</u>

(फैज अहमद किदवई) मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र	(रश्मि अरुण शमी) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.	(डी.डी. अग्रवाल) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.	(पुष्पलता सिंह) for Akshay Srin JD(ICDS) आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवायें, म.प्र.

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2015 1270 भोपाल, दिनांक 28.01.15

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
8. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
9. समस्त, जिला कार्यकम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ भोपाल।
11. राज्य कार्यकम अधिकारी, एम.आई. मध्यप्रदेश।
12. राज्य कार्यकम अधिकारी, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
13. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
15. समस्त, जिला कार्यकम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
16. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र	आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.	आयुक्त for एकीकृत बाल विकास सेवायें, म.प्र.

National Deworming Day - Albendazole (Chewable 400mg) Stock Position as per SDMIS, as on 27th Jan 2015 अनुलग्नक –अ

Division	Sr. No.	District	No of School (Govt. & Govt Aided)		No of Enrolled Children + out of school (10%)		Est. Requirement of Abendazole Tab 10 x 10 packs	Available Stock of Albendazole Tab (400 mg) - 10x10 pack	Gap
			Primary School (Class 1st to Class 5th)	Middle & Higher Sec. Schools (Class 6th to 12th)	5 to 10 year children	10 to 19 Years children			
Bhopal	1	Bhopal	1000	897	94247	123587	1525	1682	157
	2	Raisen	1875	1512	114541	116039	1614	7937	6323
	3	Rajgarh	1982	1680	146757	143645	2033	5051	3018
	4	Hoshangabad	1206	1317	80298	106230	1306	4102	2796
	5	Sehore	1493	1594	99428	118365	1525	966	559
	6	Harda	554	652	48017	48887	678	332	346
	7	Vidisha	1931	1661	155001	137758	2049	5649	3600
	8	Betul	2033	2047	139365	172908	2186	3591	1405
Sagar	9	Sagar	2227	2162	207026	251339	3209	13015	9806
	10	Tikamgarh	1782	1309	193750	179056	2610	5284	2674
	11	Chhattarpur	1984	1620	220731	200467	2948	5599	2651
	12	Panna	1635	1479	127853	114649	1698	1024	674
	13	Damoh	1478	1333	132141	140139	1906	2580	674
Rewa	14	Rewa	3677	2142	218952	223995	3101	13355	10254
	15	Satna	2714	2095	197998	230536	3000	1333	1667
	16	Singrauli	1383	999	154177	133687	2015	6756	4741
	17	Sidhi	1721	1400	136912	136932	1917	4543	2626
	18	Shahdol	1630	1208	105359	116877	1556	5233	3677
	19	Anuppur	1188	966	65577	79463	1015	3297	2282
	20	Umaria	799	928	71066	71260	996	1188	192
Ujjain	21	Agar Malwa	507	665	48908	53345	716	340	376
	22	Ujjain	1513	1711	119771	133284	1771	10442	8671
	23	Dewas	1598	1169	113226	131275	1712	2233	521
	24	Mandsor	1338	1266	84184	108324	1348	3775	2427
	25	Ratlam	1692	2779	126314	110297	1656	2183	527
	26	Shajapur	1050	960	60579	68352	903	3051	2148
	27	Neemuch	906	894	50044	68285	828	2038	1210
Indore	28	Indore	1158	1024	108204	150340	1810	3205	1395
	29	Barwani	2105	1470	162485	116524	1953	6792	4839
	30	Jhabua	1978	1007	171989	87602	1817	4890	3073
	31	Dhar	3304	1974	211627	194819	2845	5820	2975
	32	Khargon	2750	1940	189097	170936	2520	6550	4030
	33	Khandwa	1194	1144	138224	1214744	9471	5193	4278
	34	Burhanpur	539	537	69427	56907	884	2479	1595
	35	Alirajpur	1872	760	127700	63319	1337	1030	307
Jabalpur	36	Jabalpur	1712	1714	134466	174767	2165	7996	5831
	37	Mandla	2099	1560	108225	119130	1591	3790	2199
	38	Seoni	2162	1741	115677	167609	1983	4228	2245
	39	Narsinghpur	1237	1202	77286	108823	1303	4303	3000
	40	Balaghat	2291	1748	132256	196686	2303	2100	203
	41	Chhindwara	2728	2541	167863	233115	2807	11773	8966
	42	Katni	1340	1221	126463	135957	1837	4139	2302
	43	Dindori	1436	1030	83995	77229	1129	877	252
Gwalior	44	Gwalior	1487	1348	116571	124968	1691	1350	341
	45	Bhind	1793	1755	142790	138749	1971	438	1533
	46	Morena	2145	1402	174528	160012	2342	1386	956
	47	Sheopur	930	625	81749	66545	1038	2961	1923
	48	Shivpuri	2273	1498	213879	182400	2774	22	2752
	49	Datia	900	866	75723	80509	1094	347	747
	50	Guna	1658	1269	154576	114513	1884	5069	3185
	51	Ashok Nagar	1126	848	102549	83547	1303	4688	3385
Madhya Pradesh			85113	70669	6499571	7738731	99668	208005	108337

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
म.प्र.

क्रं./छात्रावास/2015/ 2371

भोपाल, दिनांक 4/2/15

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त सहायक आयुक्त /जिला संयोजक
   आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

विषय :— 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन हेतु National Deworming Day (NDD) का आयोजन 10 फरवरी 2015 को किए जाने के संबंध में।

****

विषयांतर्गत लेख हैं कि भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देशानुसार नेशनल डीवर्मिंग डे का आयोजन 10 फरवरी 2015 को किया जाना हैं, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्ष के समस्त बच्चों को एल्बेंण्डाजोल की गोली स्कूलों एवं आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से खिलाई जानी हैं। 10 फरवरी 2015 नेशनल डी वर्मिंग डे के अंतर्गत छूटे हुए बच्चों का कृमिनाशन मॉप—अप दिवस 11 फरवरी से 13 फरवरी 2015 के मध्य सुनिश्चित किया जायगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एकीकृत बाल विकास सेवाए, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग समन्वय कर किया जायेगा।

उल्लेखनीय हैं के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं (कक्षा 1 से 12), छात्रावास एवं आश्रमशाला में पंजीकृत बच्चों में भी कृमिनाशन सुनिश्चित किया जाना होगा। कृमिनाशन हेतु एल्बेंण्डाजोल गोली की उपलब्धता, उन्मुखीकरण एवं आई.ई.सी. (बैनर, पोस्टर, हैन्ड आउट) सामग्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

निर्देशित किया जाता हैं कि :—

- **दिनांक 10 फरवरी 2015 को आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों,छात्रावास एवं आश्रमशाला के माध्यम से 5 से 19 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं को कृमिनाशन हेतु एल्बेंण्डाजोल (Chewable-400 mg) की 1 गोली का सेवन, शिक्षक की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाये।**
- आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय शालाओं, छात्रावास एवं आश्रमशाला के शाला प्रधान/शिक्षक द्वारा नेशनल डीवर्मिंग डे के आयोजन पूर्व निम्न तैयारियॉ सुनिश्चित की जाये :—

1. नेशनल डीवर्मिंग डे के बैनर का प्रदर्शन।
2. काउन्टर की स्थापना।
3. बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल एवं ग्लास की व्यवस्था।
4. उपस्थिति रजिस्टर में गोली खिलाने के बाद ✓का निशान लगाना।
5. मॉप—अप दिवस पर छूटे बच्चों को गोली खिलाना एवं उपस्थिति रजिस्टर में ✓✓ का निशान लगाना।
6. बच्चों में डीवर्मिंग की दवाई के साईड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली दुषप्रभाव जैसे— चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसे अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं।

7. किसी भी प्रकार के दुषप्रभाव की स्थिति में बच्चे को खुले एवं छायादार स्थान पर लिटाया जाये तथा साफ स्वच्छ पेयजल तथा ओ.आर.एस. घोल पीने को दिया जाये।
8. प्रतिकूल घटना की सूचना हेतु प्रत्येक स्कूल में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., आशा, सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, 108 के संपर्क नम्बर की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।
9. जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं उन्हें एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन नहीं कराया जाए।
10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे गोली को चबाकर ही खायें। कक्षा 1 से 3 के छोटे विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार 2 चम्मच के बीच में गोली को चूरा कर सेवन कराया जाये।
11. गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर संपर्क सूची में दर्ज ग्राम की आशा/ए.एन.एम./सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/बी.एम.ओ. को सूचित किया जाए।
12. ऐसी स्थिति में परिजनों को सूचित करते हुए आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108/जननी एक्सप्रेस के माध्यम से पीड़ित बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पंहुचाया जाये।
13. मॉप–अप दिवस दिनांक 11 से 13 फरवरी के मध्य छूटे हुए बच्चों को एल्बेंण्डाजोल गोली का सेवन कराया जाए।
14. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिर्पोटिंग प्रपत्र में शाला प्रधान द्वारा नेशनल डीवर्मिंग डे एवं मॉप–अप दिवस की जानकारी भर कर दिनांक 20 फरवरी 2015 तक आशा को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करवायें।

(उमाकांत उमराव)
आयुक्त
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

क्रं./छात्रावास/2015/2372 भोपाल, दिनांक 4/2/15

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश